इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 9001-2015 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 16 | अंक संख्या 7 | फरवरी, 2024 | पृष्ठों की संख्या - 10

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ.....2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ.....3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ.....3
विनियामक के कथन.....3
उत्पाद एवं गठजोड़.....5
आर्थिक संवेष्टन.....5
नयी नियुक्तियाँ.....6
विदेशी मुद्रा.....6
शब्दावली.....6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी.....7
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां.....7
संस्थान समाचार.....7
नयी पहलकदमी.....9
बाजार की खबरें.....9

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

अन्तरिम संघीय बजट 2024-25 की मुख्य बातें

अन्तरिम संघीय बजट 2024-25 की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

- प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर दरों और निर्यात शुल्कों में कोई परिवर्तन नहीं।
- राजकोषीय वर्ष 25 के वित्तीय घाटे (fiscal deficit) के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 5.1% रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 24 के संशोधित अनुमानों (5.8%) से कम है।
- राज्य सरकारों द्वारा विकसित भारत के अधीन माइलस्टोन सम्बद्ध सुधारों को समर्थन प्रदान करने हेतु पचास-वर्षीय ब्याज रहित ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित।
- राष्ट्रिक (Sovereign) धन निधियों अथवा पेंशन निधियों द्वारा स्टार्ट-अपों के लिए किए गए निवेशों को 31 मार्च, 2025 तक कर लाभ मिलने का क्रम जारी रहेगा।
- भारतीय वित्तीय प्रणाली कूट (IFSC) की इकाइयों/यूनिटों की कुछेक निश्चित आय को 31 मार्च, 2025 तक एक और वर्ष के लिए कर छूट मिलने का क्रम जारी रहेगा।
- वित्त वर्ष 2009-10 तक की अवधि के लिए 25,000 रुपए तक तथा वित्त वर्ष 2010-11 से लेकर 2014-15 के लिए 10,000 रुपए तक के बकाया प्रत्यक्ष करों की मांगें वापस ले ली गई हैं। इस निर्णय से एक करोड़ कर दाताओं को लाभ पहुंचेगा।
- 1 करोड़ परिवारों के लिए छत (solarisation) सौरीकरण।
- 2030 तक 100 एमटी की कोयला गैसीकरण (gasification) एवं द्रवण (liquefaction) क्षमता की स्थापना की जाएगी।
- घरेलू प्रयोजनों हेतु परिवहन (transport) और पाइपयुक्त प्राकृतिक गैस (PNG) के लिए संपीडित जैव गैस (CBG) का संपीडित प्राकृतिक गैस (CNG) में चरणबद्ध अनिवार्य मिश्रण अनिवार्य किया जाएगा।
- आगामी 5 वर्षों में दो करोड़ और मकानों के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना आरंभ की जाएगी।
- मूलभूत सुविधा विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय का परिव्यय (outlay) 11.10% बढ़ाया जाएगा।
- युवाओं, महिलाओं और किसानों पर ध्यान संकेन्द्रण (focus)।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मध्य परत (Middle Layer) और आधार परत (Base Layer) वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ऋण संकेन्द्रण मानदंड सरल बनाए गए

तात्कालिक प्रभाव वाले नए निदेश जारी करते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने मध्य परत (Middle Layer) और आधार परत (Base Layer) वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ऋण संकेन्द्रण जोखिम मानदंडों को सरल बना दिया है। तदनुसार, राज्य और केंद्रीय सरकारों, संपार्श्विक (collateral) के रूप में रखी गई प्रतिभूति जमाराशियों तथा राष्ट्रीय ऋण गारंटी योजनाओं (NCGS) के प्रति एक्सपोजरों को संकेन्द्रण सीमाओं से छूट दे दी गई है। इससे उपर्युक्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उनके संकेन्द्रण जोखिमों में कमी लाने तथा उन्हें उच्च परत वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के समरूप लाने में सहूलियत होगी। इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास (CGTMSE) की ऋण गारंटी योजनाओं एवं कम आय वर्ग के आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास (CRGFTLIH) और राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के तहत जारी गारंटियों को भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी– मध्य परत के एक्सपोजर से छूट प्राप्त होगी।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए मानदंडों में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों की परिभाषा संशोधित

अंतर-सरकारी संगठन वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) की सिफ़ारिशों का अनुपालन करने का प्रयास करते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने राजनीतिक रूप से प्रभावशाली ऐसे व्यक्तियों (PEPs), जो विनियमित संस्थाओं से लेनदेन (transact) करते हैं, के लिए 'अपने ग्राहक को जानिए' (KYC) मानदंडों को संशोधित कर दिया है । संशोधित 'अपने ग्राहक को जानिए' मास्टर निदेशों के अनुसार ''राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों को ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिन्हें राज्यों/सरकारों के प्रधानो (States/Governments), वरिष्ठ राजनीतिज्ञों, वरिष्ठ सरकारी अथवा न्यायिक अथवा सैन्य अधिकारियों, सरकार द्वारा स्वाधिकृत निगमों के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा राजनीतिक दलों के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों सहित किसी विदेशी राष्ट्र द्वारा प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे जाते/गए हैं।''

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपरिवर्तनीय डिबेंचरों और वाणिज्यिक पत्रों के संबंध में परिपत्र जारी किए

अल्पावधिक निवेशों को विनियमित करने तथा बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने एक वर्ष तक के वाणिज्यिक पत्रों (CPs) एवं अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (NCDs) के प्रवर्तन/जारी किए जाने हेतु मानदंडों को संशोधित कर दिया है। छः मुख्य परिवर्तनों के समावेश वाले ये नए मानदंड 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे। किए गए परिवर्तनों के अनुसार ऐसे अल्पावधिक वाणिज्यिक पत्रों का परिपक्वता काल (tenor) सात दिनों से कम अथवा एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। अल्पावधिक अपरिवर्तनीय डिबेंचरों का परिपक्वता काल 90 दिनों से कम अथवा एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। ये न्यूनतम 5 लाख रुपए के मूल्यवर्ग वाले तथा उसके बाद 5 लाख रुपए के गुणजों (multiples) वाले होंगे। वे केवल डिमैट (demat) आरूप में होंगे तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास पंजीकृत किसी निक्षेपागार (depository) में रखे जाएंगे। निपटान टी+4 कार्य-दिवसों के भीतर किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह विनिर्दिष्ट किया है कि वाणिज्यिक पत्रों अथवा अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के प्राथमिक प्रवर्तन में सभी व्यक्तियों द्वारा कुल अभिदान (subscription) जारी की गई कुल रकम के 25% से अधिक नहीं होगा।

विनियामक के कथन

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास का कथन : दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान में देरी में आवश्यक रूप से कमी लाई जानी चाहिए

दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान एवं दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) पर उन्नत वित्तीय अनुसंधान एवं शिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित सम्मेलन में बोलते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने दिवाला न्यायालयों के माध्यम से दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान में हो रहे प्रचुर विलंब पर प्रकाश डाला। इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये कि सितंबर, 2023 में चल रही कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) के तहत 67% मामले 90 दिनों की संभाव्य विस्तार अवधि सहित 270 दिनों की कुल समय-सीमा को पहले ही पार कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि इस प्रकार की देरियों से इन आस्तियों के मूल्य में पर्याप्त ह्रास आ जाता है। श्री दास ने आग्रहपूर्वक यह कहा कि वित्तीय लेनदारों के जोखिमों को क्षतिपूरित किए जाने के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि वे अधिकतम जोखिम उठाते हैं।

ग्राहक लाभ और विनियमन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण ने चुनौतियों पर विजय पाने में भारत की सहायता की: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री दास

टकसाल बैंकिंग, वित्तीय सेवाए और बीमा सम्मेलन में बोलते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने भारत सहित विविध अर्थव्यवस्थाओं में वैश्विक महामारी के उपरांत डिजिटल उधारों में मन एवं वेग (scale and velocity) से हुई वृद्धि के बारे में

बात की। जहाँ इसमें हुई प्रगति एक अच्छा समाचार है, वही इससे व्यवसाय से संबन्धित आचरण के कतिपय ऐसे मुद्दे भी उभरे हैं जिनके लिए एक ओर तो ग्राहक लाभ सुनिश्चित करना और दूसरी ओर विनियामक चिंताओं का समाधान करने के उद्देश्य से संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक हो जाता है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक का ध्यान विनियमित संस्थाओं - यथा बैंकों एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में उनकी आंतरिक रक्षा पंक्तियों कों सुनिश्चित करने के लिए अभिशासन एवं आश्वासन जैसे कार्यों कों सुदृढ़ बनाने पर केन्द्रित रहा है। आश्वासन कार्य यथा जोखिम प्रबंधन, अनुपालन एवं आंतरिक लेखा-परीक्षा अभिशासन और व्यवसाय के बीच की महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास का मत : भारतीय बैंकिंग क्षेत्र पूरी गति से आगे बढ़ रहा है

ड़ावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) की शिखर बैठक में एक व्याख्यान देते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने यह दावा किया कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने उल्लेखनीय पुनरुत्थान किया है तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने जहां सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों में अभिशासन में सुधार लाने का प्रयास किया है, वहीं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में विनियामक अवसंरचना को भी सुदृढ़ किया है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि शीर्ष बैंक ने भारत की वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करने तथा आर्थिक वृद्धि को समर्थन प्रदान करने के लिए सूक्ष्म एवं स्थूल विवेकसंगत उपायों के मिश्रण का किस प्रकार उपयोग किया है। वर्तमान में परिचालनरत फिंटेक कंपनियों की संख्या की दृष्टि से विश्व के तीसरे सबसे बडे फिंटेक पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) ने अपने वित्तीय प्रस्तावों (offerings) की सुपुर्दगी को अपेक्षाकृत तीव्र, सस्ती, दक्ष तथा अधिक अभिगम्य बना दिया है। देशीय स्तर पर विकसित एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) भारत के पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन कारक (game changer) साबित हो रहा है।

वित्तीय संस्थाओं को ऐसे एआई (AI) समाधान तैयार करने चाहिए जो नवोन्मेष एवं प्रौद्योगिकीय उत्तरदायित्वों के बीच संतुलन साधते हों : भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम॰ राजेश्वर राव

भारतीय आर्थिक संघ के वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम॰ राजेश्वर राव ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (artificial intelligence) पर आधारित मॉडलों को अभिनियोजित करने की इच्छुक वित्तीय संस्थाओं के लिए नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी के उत्तरदाई उपयोग के बीच संतुलन बनाए रखने हेतु 10 पहलुओं पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। इनमें पारदर्शिता, निष्पक्षता, यथार्थता, सुसंगतता, डेटा की निजता, व्याख्यात्मकता, जवाबदेही, सुदृढ़ता, निगरानी और अद्यतनकरण एवं मानवीय भूल-चूक का समावेश है। संस्थाओं को एक ऐसे व्यापक अभिशासन ढांचे को कार्यान्वित करना चाहिए जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल से संबन्धित किसी भी मुद्दे से निपटने हेतु व्यक्तियों को उत्तरदाई ठहराने के लिए नियमित लेखा-परीक्षाओं, आंतरिक पुनरीक्षणों तथा बाह्य मूल्यांकनों का समावेश हो। इसके अतिरिक्त श्री राव ने इस बात का भी उल्लेख किया कि इसमें उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं (EMEs) की तुलना में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के अधिक लाभान्वित होने के अवसर हैं, क्योंकि बाद वाली अर्थव्यवस्थाओं में कृषि और निर्माण जैसे क्षेत्रों, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग के अपेक्षाकृत कम अवसर हैं, अधिक रोजगार हैं।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए कठोर अभिशासन जरूरी : उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे॰

शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए आयोजित शहरी सहकारी बैंकों में अभिशासन पर एक सम्मेलन में बोलते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे॰ ने शहरी सहकारी बैंकों में कठोर अभिशासन मानकों के महत्व को रेखांकित किया। उक्त क्षेत्र द्वारा जिन मुख्य चुनौतियों का सामना किया जा रहा है उनका उल्लेख करते हुये उन्होंने कहा कि शहरी सहकारी बैंकों के बोर्ड को आवश्यक रूप से पारदर्शी निर्णय लेने वाला एक ऐसा निकाय होना चाहिए जो जवाबदेह हो तथा अभिशासन एवं व्यावसायिकता की सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने वाला हो। इस क्षेत्र को नवोन्मेषी समाधानों और विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से प्राप्त की गई प्रौद्योगिकी को समुचित सावधानी के साथ आवश्यक रूप से अपनाना चाहिए। संभाव्य साइबर जोखिमों पर भी आवश्यक रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए तथा शहरी सहकारी बैंकों को उनसे संरक्षित रखने के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए। जहां तक सक्षमता निर्माण का प्रश्न है नेतृत्व की संभाव्यता को विविध कार्यों के जरिये पोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने शहरी सहकारी बैंकों के लिए आकार ग्रहण कर रहे छत्र (umbrella) संगठनों का भी उल्लेख किया और यह कहा कि यह संगठन विशेषत: सक्षमता निर्माण एवं प्रौद्योगिकी का आकार बढ़ाए जाने (upscaling) के क्षेत्रों में उसे उत्तेजित (galvanise) करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों के अनुकूल उत्पाद एव सेवाओं के घुमाव (slew) उपलब्ध कराएगा।

संस्थाओं को अनुपालन कार्य के प्रति विनियमन पर अत्यधिक बल वाला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए

आश्वासन कार्य से संबन्धित प्रमुखों के लिए आयोजित सम्मेलन में बोलते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे॰ ने कहा कि बैंकिंग परिचालनों की ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन कार्य आवश्यक है तथा संस्थाओं से यह आग्रह किया कि वे विनियमन पर अत्यधिक बल वाला ऐसा दृष्टिकोण अपनाएं जिसमें संस्थाएँ न केवल विनियामक अपेक्षाएँ पूरी करती हैं, अपितु उससे आगे बढ़ जाती हैं। उन्होंने प्रतिरक्षा की चार पंक्तियों की व्याख्या की, जिसमें प्रथम पंक्ति (first line) व्यवसाय इकाई के स्तर पर कार्य करती है तथा बैंक के दैनिक परिचालनों में सक्रिय (proactive) जोखिम प्रबंधन को शामिल करती है। दूसरी पंक्ति सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन ढांचे, नीतियों एवं कार्यविधियों की स्थापना करते हुये इस बुनियाद पर आगे बढ़ती है। तीसरी पंक्ति आंतरिक लेखा-परीक्षा से संबन्धित होती है, जबकि चौथी पंक्ति बाह्य लेखा-परीक्षा पर ध्यान देती है।

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिसके साथ गठजोड़ हुआ वह सांगठन	उद्देश्य
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (IREDA)	इंडियन ओवरसीज बैंक	सम्पूर्ण देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के भिन्न-भिन्न वर्णक्रम (spectrum) के लिए सह-उधार एवं ऋण समूहन में सहयोगपरक प्रयासों के लिए।

आर्थिक संवेष्टन

भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य बातें: आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी एक पुनरीक्षण, जनवरी, 2024

- राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (NSO) ने अनुमान लगाया है कि भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वित्त वर्ष 24 में 7.3% बढ़ेगा।
- आघात-सह (resilient) सेवा निर्यात तथा कमतर तेल आयात लागतों के परिणामस्वरूप भारत के चालू खाते का घाटा वित्त वर्ष 24 की पहली छमाही में सकल घरेलू उत्पाद के स्तर से 1 प्रतिशत कम रहा।
- वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में निजी अंतिम उपभोग व्यय (CRAR) का अंश वैश्विक महामारी के आरंभ होने के पूर्व के आठ वर्षों में 58.4 प्रतिशत के औसत से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में 60.8 प्रतिशत रहा।
- कुल सकल मूल्य-योजित (GVA) में परिमाण की दृष्टि से सेवाओं का अंश वित्त वर्ष 14 में 51.1 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 54.6 प्रतिशत हो गया।
- जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में ऋण बढ़ा, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के कई एक कमजोर बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) ढांचे से बाहर रहने में सहायता प्राप्त हुई।
- 10 जनवरी, 2024 के दिन प्रधान मंत्री जन-धन योजना के तहत कुल लाभार्थी/हिताधिकारी 51.5 करोड़ थे, जो मार्च, 2015 से अब तक 3.5 गुनी वृद्धि दर्शाता है।
- दिसंबर, 2023 में अटल पेंशन योजना के अधीन अभिदाता आधार 6.1 करोड़ रहा, जो वित्त वर्ष 15 में 20.7 लाख के आधार से 30 गुना अधिक है।
- इन्टरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में इन्टरनेट की पैठ (penetration) 2022 में 50 प्रतिशत का चिन्ह (mark) पार कर गई।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
श्री अशोक वासवानी	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कोटक महिंद्रा बैंक

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	26 जनवरी, 2024 के दिन करोड रुपए	26 जनवरी, 2024 के दिन मिलियन अमरीकी डालर	विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि में प्रवृत्तियाँ (मिलियन अमरीकी डालर) पिछले 6 माह
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	5126070	616733	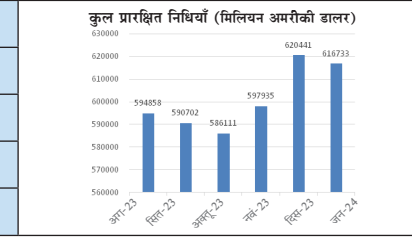
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4539360	546144	
1.2 सोना	394644	47481	
1.3 विशेष आहरण अधिकार	151673	18248	
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधियाँ	40393	4860	

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

फरवरी, 2024 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के लिए वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARRs) की आधार दरें

मुद्रा	दर
अमरीकी डालर	5.31
जीबीपी	5.1879
यूरो	3.907
जापानी येन	-0.011
कनाडाई डालर	5.0500
आस्ट्रेलियाई डालर	4.35
स्विस फ्रैंक	1.69919

मुद्रा	दर
न्यूजीलैंड डालर	5.5
स्वीडिस क्रोन	3.897
सिंगापुर डालर	3.5205
हांगकांग डालर	3.96816
म्यांमार रुपया	3.01
डैनिश क्रोन	3.5130

स्रोत : www.fbil.org.in

शब्दावली

वाणिज्यिक पत्र (Commercial Paper)

यह वचन पत्र के रूप में जारी एक अप्रतिभूत (unsecured) मुद्रा बाजार लिखत होता है। भारत में वाणिज्यिक पत्र की शुरूआत 1990 में अत्यधिक उच्च श्रेणी-निर्धारण प्राप्त कारपोरेट उधारकर्ताओं को उनके अल्पावधिक उधारों के स्रोतों को विशाखीकृत करने तथा निवेशकों को एक अतिरिक्त लिखत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समावेशी (umbrella) सीमा के अधीन मुद्रा बाजार लिखतों के माध्यम से संसाधन जुटाने की अनुमति दी गई हो ऐसे अत्यधिक उच्च श्रेणी- निर्धारण प्राप्त

कॉर्पोरेट उधारकर्ता, प्राथमिक व्यापारी (Primary Dealers) तथा अनुषंगी (satellite) व्यापारी और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं, वाणिज्यिक पत्र जारी करने के पात्र होते/होती हैं।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

उचित मूल्य

उचित मूल्य वह कीमत होता है जो किसी आस्ति को बेचने से प्राप्त की जाएगी अथवा किसी देयता को मापन (measurement) तिथि को बाजार के सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित (orderly) लेनदेन (transaction) में हस्तांतरित करने के लिए भुगतान की जाती है। उचित मूल्य मापन यह मानता है कि आस्ति को बेचने अथवा देयता को हस्तांतरित करने का लेनदेन या तो (क) आस्ति या देयता के लिए मुख्य बाजार में; या फिर (ख) किसी मुख्य बाजार के अभाव में आस्ति या देयता के लिए सर्वाधिक लाभदायक (advantageous) बाजार में सम्पन्न होता है। इससे संबन्धित दिशानिर्देश इंड लेखांकन मानक 113 में दिये गए हैं।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

फरवरी, 2024 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	13-15 फरवरी, 2024	प्रौद्योगिकी पर आधारित
अपने ग्राहक को जानिए/धन शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला	14-15 फरवरी, 2024	
लघु वित्त बैंकों के लिए विनियामक पहलुओं पर कार्यक्रम	16-17 फरवरी, 2024	
डिजिटल बैंकिंग वातावरण में डेटा विश्लेषण पर कार्यक्रम	16-17 फरवरी, 2024	
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों एवं लघु वित्त बैंकों के लिए शेयर बाजार के उतार-चढ़ावों सहित एकीकृत खजाना प्रबंधन पर कार्यक्रम	20-22 फरवरी, 2024	लीडरशिप सेंटर, मुंबई

संस्थान समाचार

उन्नत मापांक/मॉड्यूल की शुरूआत : जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त पर आईआईबीएफ-आईएफसी का संयुक्त प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

संस्थान ने जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त पर एक प्रमाणन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) के साथ एक करार कर रखा है। उक्त पाठ्यक्रम दो भागों में विभाजित है – मूल और उन्नत। मूल पाठ्यक्रम की शुरूआत 23 मई, 2023 को सेंट रेगिस हाल, मुंबई में की गई थी। **उन्नत पाठ्यक्रम की शुरूआत 14 फरवरी, 2024 को संकर विधि/मोड में की जाएगी।** यह पाठ्यक्रम आत्म-संगामी (self-paced) ई-शिक्षण के रूप में है जिसमें लगभग 6 घंटों के शिक्षण का समावेश है। इसके बाद मूल्यांकन सत्र संचालित किया जाएगा। सफल होने पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा संयुक्त प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

13वां आर॰ के॰ तलवार स्मारक व्याख्यान

भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से आयोजित होने वाला 13वां आर॰ के॰ तलवार स्मारक व्याख्यान 16 फरवरी, 2024 को भारतीय स्टेट बैंक सभागृह, नरीमन प्वाइंट, मुंबई में सम्पन्न होगा। उक्त व्याख्यान **डा॰ अनंत नागेश्वरन**, मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस व्याख्यान का विषय है ''दि रोल आफ रेग्यूलेशन इन इकोनामिक डेवलपमेंट''। उक्त व्याख्यान संस्थान की फेसबुक तथा यू ट्यूब चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in देखें।

अंतर-बैंक प्रश्नमंच प्रतियोगिता - बैंकिंग चाणक्य का 3रा संस्करण

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की मेजबानी में आयोजित होने वाली अंतर-बैंक प्रश्नमंच प्रतियोगिता- बैंकिंग चाणक्य की भव्य अंतिम फेरी (Grand Finale) का आयोजन 20 जनवरी, 2024 को मुंबई में किया गया। उत्तर अंचल से भारतीय स्टेट बैंक की टीम 1,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि के साथ सर्वजेता (champion) बनी। उक्त प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान (runner up) भी दक्षिण अंचल से भारतीय स्टेट बैंक को प्राप्त हुआ। अन्य दो टीमें पश्चिम अंचल से भारतीय रिजर्व बैंक की टीम तथा पूर्व अंचल से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की टीम रहीं। उक्त समारोह प्लैटिनम स्पांसर्स- भारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, गोल्ड स्पांसर्स- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तथा इंडियन बैंक और सिल्वर स्पांसर्स पंजाब नैशनल बैंक एवं केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित था।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स ने बैंकिंग एंड फाइनैन्स इयरबुक 2024 का तीसरा संस्कारण जारी किया

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स ने ''बैंकिंग एंड फाइनैन्स इयरबुक 2024'' का तीसरा संस्कारण जारी कर दिया है। यह 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सभी महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रवृत्तियों, विशेषज्ञों के विचारों तथा बैंकिंग एवं वित्त में भिन्न-भिन्न कार्य-क्षेत्रों में हुये विनियामक परिवर्तनों का एक व्यापक डाइजेस्ट है। उक्त पुस्तक अमैजन पर पेपरबैक के रूप में तथा एक प्रेरक (kindle) संस्करण के रूप में उपलब्ध है। यह पुस्तक हमार प्रकाशक मैसर्स टैक्समैन प्रकाशन (प्रा॰) लिमिटेड के खुदरा बिक्री केन्द्रों में भी उपलब्ध है।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूक्ष्म एवं स्थूल शोध प्रस्ताव आमंत्रित

'सूक्ष्म शोध' संस्थान के सदस्यों (बैंकरों) के लिए अपने मौलिक विचारों, मतों तथा उनकी रुचि के क्षेत्रों के संबंध में उत्तम प्रथाओं को प्रस्तुत करने हेतु एक निबंध प्रतियोगिता की भांति होता है। यह प्रतियोगिता संस्थान के उन आजीवन सदस्यों के लिए है जो वर्तमान में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में कार्यरत हैं। स्थूल शोध वर्ण्य विषय पर आधारित एक ऐसा अनुभवसिद्ध शोध है जिससे सम्पूर्ण उद्योग (बैंकिंग एवं वित्त) के लिए सबक लिए जा सकते हैं। सूक्ष्म और स्थूल शोध दोनों ही के लिए आवेदनों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2024 है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in देखें।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए हीरक जयंती और सी॰ एच॰ भाभा बैंकिंग ओवरसीज शोध फ़ेलोशिप (DJCHBBORF) के लिए आवेदन आमंत्रित

संस्थान उपर्युक्त योजना के तहत आवेदन आमंत्रित करता है। इस फ़ेलोशिप का उद्देश्य सफल अभ्यर्थी को बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में अद्यतन घटनाओं पर भारत अथवा विदेशों में शोध अध्ययन करने का अवसर प्रदान करना है। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि बढ़ाकर 29 फरवरी, 2024 कर दी गई है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in देखें।

आगामी अंक के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तु

जनवरी - मार्च, 2024 तिमाही के लिए बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक हेतु विषय-वस्तु है: ''Leveraging technology for effective credit appraisal.''

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों/महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने–आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) संस्थान द्वारा सितम्बर, 2023 से फरवरी, 2024 की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2023 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii)संस्थान द्वारा मार्च, 2024 से अगस्त, 2024 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2023 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

बाजार की खबरें

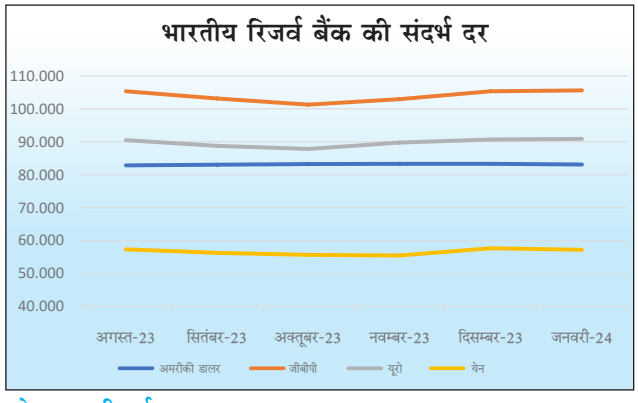

स्रोत: एफबीआईएल

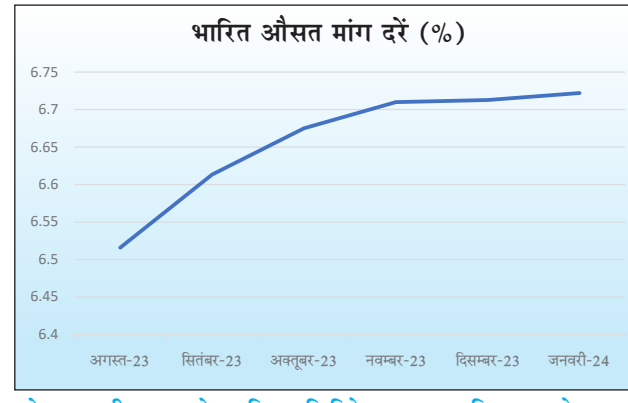

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

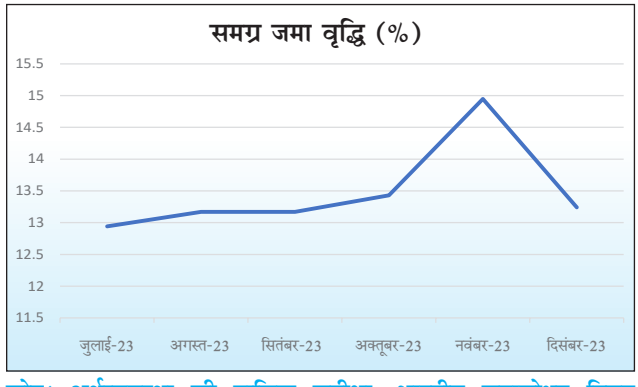

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जनवरी, 2024

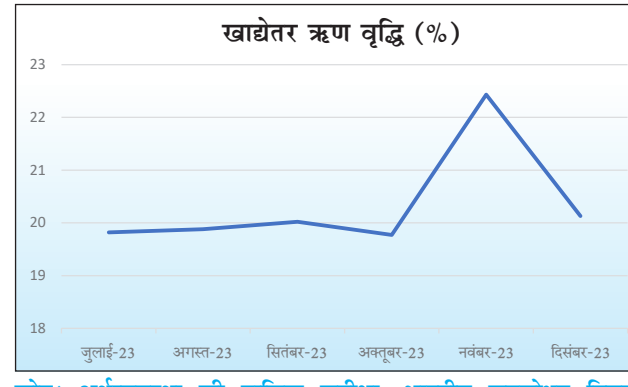

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समशोधन निगम लिमिटेड, जनवरी, 2024

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

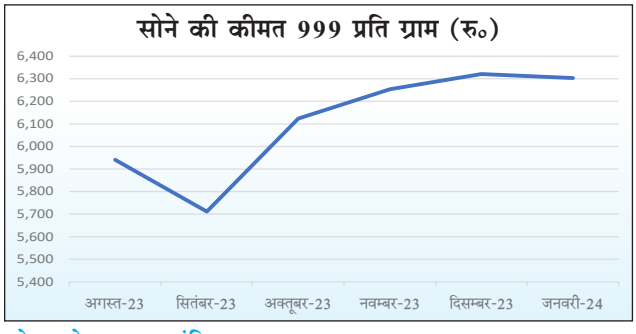

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

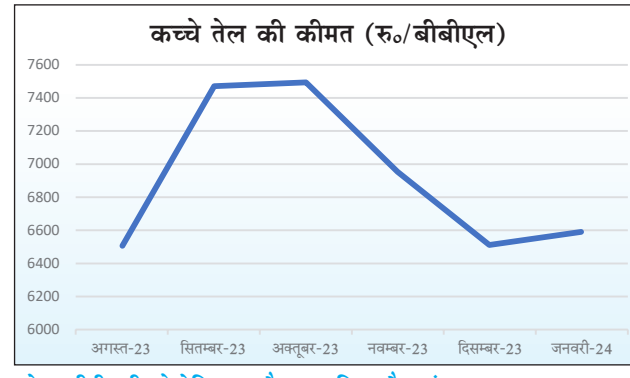

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

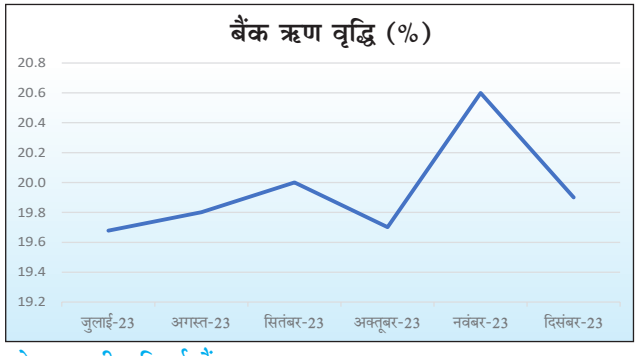

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

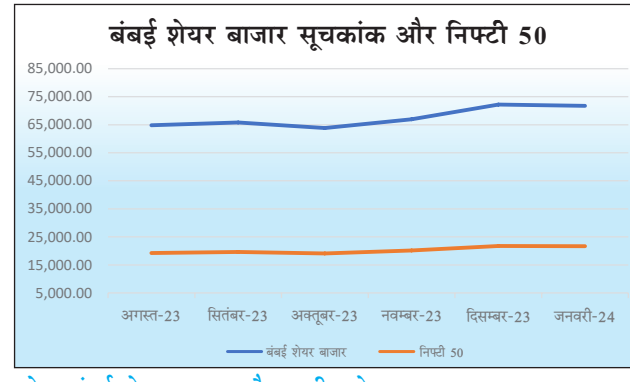

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in